25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मे बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़